आमसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 (1) (क) एवं 86 (1) (क) सहपठित अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ के सिद्धांत के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2015 एवं 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में मेसर्स मध्य भारत पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एम.बी.पी.सी.एल.) द्वारा अपने सिक्किम स्थित 113 मेगावॉट (2x56.5 मेगावॉट) क्षमता की रोंगनिचु हाईड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तिथि में पूँजी लागत का अनुमोदन तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 (संचालन की तिथि से 31.03.2022) के फाईनल टैरिफ/टैरिफ के सत्यापन एवं वर्ष 2022–23 से 2024–25 की अवधि के लिए यथानुपातिक सम्पूर्ण वार्षिक राजस्व आवश्यकता हेतु माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर की गई है, जिसे याचिका क्रमांक 93/2022 के रूप में पंजीकृत किया गया है। परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तिथि (30/06/2021) में पूँजी लागत रू. 1612.30 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए यथानुपातिक सम्पूर्ण वार्षिक राजस्व आवश्यकता निम्नानुसार है।

तालिका 1: वित्तीय वर्ष 2021–22 का वार्षिक निश्चित लागत (ए.एफ.सी.)

(करोड़ रू.)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021–22 (इकाई 1) 25.06.2021 से 29.06.2021	वित्तीय वर्ष 2021–22 (इकाई 1 एवं 2) 30.06. 2021 से 31.03.2022	वित्तीय वर्ष 2021–22 (समानुपातिक)
रिटर्न ऑन इक्विटी (Return on Equity)	0.51	56.50	57.02
ऋण पर ब्याज (Interest on Loan)	0.95	102.07	103.02
मूल्यह्रास (Depreciation)	0.54	59.56	60.10
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय (Normative O&M expenses)	0.17	18.23	18.40
कार्यकारी पूँजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)	0.03	3.13	3.16
कम: गैर.टैरिफ आय (Less: Non-Tariff Income)	–	0.95	0.95
कुल वार्षिक निश्चित लागत	2.20	238.54	240.74
कुल वार्षिक निश्चित लागत गृह राज्य की फ्री पॉवर एवं सेकण्ड्री एनर्जी की लागत सहित	2.20	267.23	269.43

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोगके बहुवर्षीय टैरिफविनियम 2021 के विनियम क्रमांक 7 के प्रावधानों के अनुसार मध्य भारत पॉवर कॉरर्पोरेशन लिमिटेड कन्ट्रोल पिरियड यथा वर्ष 2022–23 से 2024–25 की अवधि के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अनुमोदन हेतु योजना लागत रू. 53.67 करोड प्रेषित़ की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामकआयोग के बहुवर्षीय टैरिफ विनियम 2021 के विनियम क्रमांक 37.1 के प्रावधानों के अनुसार मध्य भारत पॉवर कॉरर्पोरेशन लिमिटेड नियंत्रण अवधि यथा वर्ष 2022–23 से 2024–25 की अवधि के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता निम्नानुसार है।

तालिका 2: वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 का वार्षिक निश्चित लागत

(करोड़ रू.)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25
रिटर्न ऑन इक्विटी (Return on Equity)	68.78	69.89	69.96
ऋण पर ब्याज (Interest on Loan)	78.49	73.86	67.89
मूल्यह्रास (Depreciation)	79.55	80.77	80.86
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय (Normative O&M expenses)	19.25	20.14	21.08
कार्यकारी पूँजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)	2.27	2.28	2.27
कमः गैर.टैरिफ आय (Less: Non-Tariff Income)	0.95	0.95	0.95
कुल वार्षिक निश्चित लागत	**247.39**	**245.98**	**241.10**
कुल वार्षिक निश्चित लागत गृह राज्य की फ्री पॉवर, सेकण्ड्री एनर्जी की लागत एवं रिफानेंसिंग के लाभ सहित	**326.69**	**297.97**	**296.69**

इस परिसम्पत्ति के जीवन काल तक, यह परियोजना राज्य के लिए ऊर्जा का एक स्वच्छ स्त्रोत (Clean Energy) बनी रहेगी और सी.एस.पी.डी.सी.एल. (CSPDCL) को अपने विद्युत क्रय उत्तरदायित्व को पूरा करने में मदद करेगी।

उक्त टैरिफ याचिका की प्रति मेसर्स मध्य भारत पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वितीय तल, वाणिज्य भवन, देवेन्द्र नगर चौक, जेल रोड, रायपुर 492001 (छ.ग.)और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर (छ.ग.)पर उपलब्ध रहेगीजोकि

किसी भी कार्यालयीन दिवसमेंसुबह11:00सेशाम04:00बजे तक रू. 500/– का भुगतान कर याअतिरिक्त रू. 100/– भुगतान कर डाक से प्राप्त कर सकते हैं। सूचनाएवंयाचिका छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग की वेबसाईट www.cserc.gov.inपर भी उपलब्ध रहेगी।आपत्ति/सुझावइससूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिनों की समय–सीमा के भीतर व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारासचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर, (छ.ग.)औरमेसर्स मध्य भारत पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वितीय तल, वाणिज्य भवन, देवेन्द्र नगरचौक, जेल रोड, रायपुर 492001 (छ.ग.)में भेज सकते है।सुझाव/आपत्ति की अग्रिम प्रति ई–मेल द्वारा cserc.sec.cg@nic.in पर मेल करसकते है। आयोग द्वारा उपरोक्त याचिका पर सुनवाई हेतु दिनांक एवं समय पृथक से प्रकाशित किया जाएगा।

मेसर्स मध्य भारत पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
रोंगनिचु हाईड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना

PUBLIC NOTICE

M/s Madhya Bharat Power Corporation Ltd. (MBPCL) has filed a petition (petition no 93 of 2022) for the approval of Final Capital Cost as on COD, Truing-Up of Tariff for the period 2021-22, approval of Capital Investment Plan and determination of tariff for the period FY 2022-23 to FY 2024-25 in respect of 113 MW (2*56.5 MW) Rongnichu Hydro-Electric Project, Sikkim (THE PROJECT). The petition has been filed under section 62(1)(a) And 86(1)(a) of Electricity Act 2003 read with Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff according to Multi-Year Tariff Principles and Methodology and Procedure for Determination of Expected Revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2015 and 2021.Final Capital Cost of "THE PROJECT" as on COD i.e. 30.06.2021 wasINR 1612.30 Cr. The Total Annual Fixed Cost for Tariff Period up to FY 2021-22 is worked out as below:

Table 1: Annual Fixed Cost for Tariff Period up to FY 2021-22

(in INR Crore)

Parameters	2021-22 (Unit 1) 25.06.2021 to 29.06.2021	2021-22 (Unit 1 & 2) 30.06.2021 to 31.03.2022	FY 2021-22
Return on Equity	0.51	56.50	57.02
Interest on Loan	0.95	102.07	103.02
Depreciation	0.54	59.56	60.10
Normative O&M expenses	0.17	18.23	18.40
Interest on Working Capital	0.03	3.13	3.16
Less: Non-Tariff Income	-	0.95	0.95
Annual Fixed Cost (AFC)	**2.20**	**238.54**	**240.74**
Total AFC considering cost of 12% free power and cost of secondary energy	**2.20**	**267.23**	**269.43**

In accordance with Regulation 7 of CSERC MYT Regulations 2021, MBPCL has also submitted proposal for approval of the Capital Investment Plan of Rs. 53.67 Crore for MYT control period FY 2022-23 to FY 2024-25.

In accordance with the provision under Regulations 37.1 of the CSERC MYT Regulations 2021, Annual Fixed Cost forMYT control period FY 2022-23 to FY 2024-25 works out as:

Table 2: Annual Fixed Cost for Tariff Period up to FY 2022-23, FY 2023-24 and FY 2024-25

(in INR Crore)

Parameters	FY 2022-23	FY 2023-24	FY 2024-25
Return on Equity	68.78	69.89	69.96
Interest on Loan	78.49	73.86	67.89
Depreciation	79.55	80.77	80.86
Normative O&M expenses	19.25	20.14	21.08
Interest on Working Capital	2.27	2.28	2.27
Less: Non-Tariff Income	0.95	0.95	0.95
Annual Fixed Cost (AFC)	**247.39**	**245.98**	**241.10**
Total AFC considering cost of 12% free power, cost of secondary energy and benefit of refinancing	**326.69**	**297.97**	**296.69**

As per prevailing provisions, energy generated by the above plant shall be eligible for meeting Hydro Purchase Obligation (HPO) of CSPDCL.

Copy of the above petition is available at M/s. Madhya Bharat Power Corporation Ltd. 2nd Floor, Vanijya Bhawan, Devendra Nagar Square, Jail Road, Raipur – 492001and CSERC office, Irrigation Colony, Shanti Nagar,Raipur which can be purchased on any working day between 11:00 am to 4:00 pm after making payment of Rs. 500/- or by post on additional payment of Rs.100/-.The notice& petition will also be available on the CSERC's website www.cserc.gov.in.

Objections/suggestions may be submitted within 21 days from the publication of this Notice either in person or by post to the Secretary, CSERC, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur Pin – 492001 and M/s. Madhya Bharat Power Corporation Ltd. 2nd Floor, Vanijya Bhawan, Devendra Nagar Square, Jail Road. Advance copies of objection/suggestion may also be e-mailed to cserc.sec.cg@nic.in.The Chhattisgarh State Electricity Regulatory commission willpublish the notice regarding the date and time of public hearing separately.

M/s. Madhya Bharat Power Corporation Ltd.
Rongnichu Hydro-Electric Project, Sikkim